डीजी परिपत्र सं0- 27 /2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक- जुलाई 28, 2025

विषय :प्रदेश के समस्त 75 जनपदों/ कमिश्नरेट्स के साइबर क्राइम पुलिस थानों पर आई०टी० एक्ट के अभियोगों के पंजीकरण व विवेचनाओं के आवंटन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000** के अधीन अपराधों के पंजीकरण एवं अन्वेषण के दृष्टिगत उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 1931 पी/छः-पु0-06-16-300 (13)/2014, दिनांक **31.03.2016** के माध्यम से प्रदेश में **02 साइबर क्राइम पुलिस थाने** लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये गये थे।

1. शासनादेश सं०:-1931 पी/छः-पु०-06-16-300 (13)/14 दि० 31.03.2016
2. शासनादेश सं०:- 25/2020/32पी/6-पु०-6-2020-300(13)/2014, दि० 06.02.2020
3. डीजी परिपत्र संख्या:- 12/2020 दिनांक 21.03.2020
4. डीजी परिपत्र संख्या:- 21/2022 दिनांक 23.07.2022
5. डीजी परिपत्र संख्या: 16/2023 दिनांक 31.05.2023
6. शासनादेश संख्या-2240 पी0/छः-पु0-6-2023 दिनांक 20.10.2023

तदोपरांत शासनादेश संख्या:25/2020/32पी/6-पु०-6-2020-300(13)/2014, **दि० 06.02.2020** द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उ०प्र० के पर्यवेक्षण व नियंत्रणाधीन प्रदेश में **16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों** क्रमशः मिर्जापुर, गोण्डा, आजमगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, बांदा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झाँसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बस्ती व गोरखपुर में **साइबर क्राइम पुलिस थानों का गठन** किया गया था। इस प्रकार प्रदेश के सभी **18 परिक्षेत्रों** में साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र उक्त अंकित अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया था।

2. 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर संचालित साइबर क्राइम थानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 2020 में **डीजी परिपत्र संख्या: 12/2020** दिनांक: **21.03.2020** को निर्गत किया गया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस थानों में एफ०आई०आर० का पंजीकरण एवं अन्वेषण किये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे। इस परिपत्र में साइबर क्राइम पुलिस थानों में पंजीकरण हेतु आई०टी०एक्ट से सम्बन्धित वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि 01 लाख रूपये या उससे अधिक निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात बढ़ते साइबर वित्तीय साइबर अपराधों के दृष्टिगत उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए **डीजी परिपत्र संख्या: 21/2022** दिनांक: **23.07.2022** एवं **डीजी परिपत्र संख्या:-16/2023** दिनांक **31.05.2023** निर्गत किये गये, जिसमें पंजीकरण हेतु साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि 01 लाख रूपये से बढ़ाकर 05 लाख रूपये या उससे अधिक की निर्धारित कर दी गयी। साथ ही आई०टी०एक्ट की विवेचनाओं को साइबर क्राइम थानों में स्थानान्तरण हेतु जनपदों द्वारा सीधे साइबर क्राइम मुख्यालय न भेजते हुए परिक्षेत्र / जोन स्तर के माध्यम से साइबर क्राइम मुख्यालय प्रेषित किये जाने व विशेष पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त ही साइबर क्राइम थानों में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

3. उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2023 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों / कमिश्नरेट्स में साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित किये गये, जिनके पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2240 पी0/छः-पु0-6-2023 दिनांक: 20.10.2023 द्वारा जनपदों / कमिश्नरेट्स को प्रदान किया गया है।

4. प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि कई जनपदों / कमिश्नरेट्स के साइबर क्राइम थानों में 05 लाख रूपये की धनराशि से अधिक के वित्तीय साइबर अपराध नगण्य हैं तथा कई जनपदों में कई महीनों तक एक भी प्र०सू०रि० साइबर क्राइम पुलिस थाने पर दर्ज नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना का अधिकाधिक सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

5. अतः बदलती हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त डीजी परिपत्र संख्या: 21/2022 व डीजी परिपत्र संख्या:-16/2023 को अतिक्रमित करते हुये निर्धारित धनराशि के सम्बन्ध में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- साइबर क्राइम पुलिस थानों पर अभियोग पंजीकृत करने व विवेचना करने हेतु 05 लाख की सीमा निरस्त की जाती है। जनपदों / कमिश्नरेट्स के पुलिस प्रमुख साइबर क्राइम पुलिस थानों पर आई०टी० एक्ट के अभियोगों के पंजीकरण व साइबर विवेचनाओं के आवंटन सम्बन्धी निर्णय अपने स्तर से इस तरह लें कि साइबर क्राइम थानों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इस निर्णय को लेते समय निम्न Guidelines का पालन अवश्य किया जाए:-
  - i. साइबर थाने पर प्रति विवेचक द्वारा वर्ष में 20 विवेचनाओं का निस्तारण अवश्य किया जाए।
  - ii. अपराधिक कॉल सेन्टर सम्बन्धी प्रकरणों, जिसमें कई अपराधिक घटनाओं का इंटरलिंकेज प्रकाश में आये की विवेचना साइबर क्राइम थानों से टीम बनाकर करायी जाए।
  - iii. ऐसे प्रकरण जिसमें संगठित गैंग (Organized Gang) होने की सम्भावना हो अथवा थाने से विवेचना करते समय संगठित गैंग की संलिप्तता (Involvement) प्रकाश में आये, उनकी विवेचना साइबर थाने से करायी जाए।
  - iv. उपर्युक्त तरीके के ज्यादा प्रकरण आने पर जनपद / कमिश्नरेट प्रभारी साइबर थाने पर विवेचको की संख्या यथासम्भव बढ़ाये। बाद समीक्षा आवश्यकतानुसार तकनीकी रूप से जानकार कर्मियों की भी नियुक्ति पर्याप्त संख्या में की जाए।
  - v. प्रत्येक माह राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से साइबर क्राइम थाने के विवेचकों का अर्दली रूम अवश्य किया जाए।
- आई०टी० एक्ट तथा साइबर क्राइम पुलिस थानों पर चल रही विवेचनाओं के स्थानान्तरण में वही निर्देश लागू होंगे, जो अन्य एक्ट की विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में लागू हैं।

6. मुझे विश्वास है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु साइबर क्राइम पुलिस थानों का सदुपयोग किया जा सकेगा एवं अपराधों के अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र०।
समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
प्रतिलिपिः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ०प्र०।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।